



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 आषाढ 1944 (श10)
(सं0 पटना 515) पटना, शुक्रवार, 15 जुलाई 2022

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
15 जुलाई 2022

अधिसूचना संख्या 11/2022-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 114, दिनांक 15 जुलाई 2022— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम - 12, 2017), की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद द्वारा, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या 45/2017-ज्यरा-कर (दर) दिनांक 14 नवम्बर, 2017 जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 275 दिनांक 14 नवम्बर, 2017 में प्रकाशित किया गया था, को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा करने से लोप की गई बातों को छोड़ते हुए, करते हैं।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-14) 11)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

15 जुलाई 2022

एस० ओ० 114, दिनांक 15 जुलाई 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-14) 11)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 15th July 2022**Notification No. 11/2022- State Tax (Rate)**

S.O.114, Dated 15th July 2022— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby rescinds the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 45/2017-State Tax (Rate), dated the 14th November, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 275, dated the 14th November, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-14) 11)]

By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 515-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>